विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-05/19

श्री रणजीत कुमार सिंह, – **आवेदक**
मानस रजत विहार कॉलोनी,
कोदरिया, महू गॉव,
महू (म0प्र0)

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री (संचा./संधा.) संभाग, – **अनावेदक**
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
महू (म0प्र0)

आदेश

(दिनांक 15.11.2019 को पारित)

01. **आवेदक श्री रणजीत कुमार सिंह,** 51/ए, मानस रजत विहार, ग्राम पंचायत कोदरिया, तहसील, महु जिला – इंदौर ने अपने आवेदन दिनांक 23.03.2019 से विद्युत लोकपाल के समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर एवं उज्जैन क्षैत्र द्वारा दिनांक 29.01.2019 को प्रकरण क्र0 डब्ल्यु 0420718 श्री रणजीत कुमार सिंह विरूद्ध कार्यपालन यंत्री, संचा./संधा. संभाग, म0प्र0 पश्चिम क्षैत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, महू में पारित आदेश के विरूद्ध विद्युत लोकपाल के समक्ष अपील प्रस्तुत की है ।

आवेदक ने अपने अपीलीय आवेदन के साथ विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर एवं उज्जैन क्षैत्र के आदेश दिनांक 29.01.2019 की प्रति, नवीन विद्युत संयोजन के प्रभारों के

भुगतान की रसीद की प्रति, पूर्व बकाया राशि की मद में रू0 26573/– दिनांक 30.11.2018 को चैक द्वारा किए गए भुगतान की रसीद की प्रति संलग्न कर प्रस्तुत की है ।

02. आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपने लिखित अपीलीय आवेदन दिनांक 23.03.2019 में लेख है कि आवेदक ने वित्तीय संस्था के द्वारा वसूली हेतु विक्रय की गयी सम्पत्ति/मकान न. 51 ए, मानस रजत विहार, कोदरिया को हाउसिंग एण्ड लि0 से खरीदी गयी थी । जब उपरोक्त सम्पत्ति पर नया विद्युत संयोजन हेतु आवेदन करने पर उपरोक्त मकान पर बिजली विभाग का बकाया होने से हमें संयोजन देने से इंकार कर दिया गया, एवं बताया कि उपरोक्त मकान पर बिजली विभाग का बकाया है, जब तक उसका भुगतान नहीं करोगे, बिजली संयोजन नहीं देवेंगे ।

तब हमारे द्वारा विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 4.12 (iii) यदि सम्पत्ति की कुर्की अथवा उसकी बिक्री राज्य अधिनियम/केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित की गई वित्तीय संस्थाओं द्वारा उनकी बकाया राशि की वसूली बाबत् की गई हो तो ऐसी दशा में क्रेता को तत्कालीन उपभोक्ता के विद्युत प्रदाय की बकाया राशि का भुगतान नहीं करना होगा, का उल्लेख कर आवेदन देने पर विद्युत विभाग द्वारा नवीन संयोजन प्रदान कर दिया गया जिसकी रसीद नं 7326 दिनांक 29.08.18 । संयोजन देने के बाद भी बिल नए संयोजन का नहीं देते हुए पुराने संयोजन पूर्व उपभोक्ता के नाम से देने लगे, कई बार विद्युत विभाग के चक्कर लगाने पर भी नए नाम से बिल नहीं देने पर हमारे द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर में शिकायत की गयी । शिकायत प्रकरण क्रमांक 4207 पर दर्ज कर फोरम द्वारा अनावेदक को नोटिस भेजा गया । नोटिस प्राप्त होने के बाद अनावेदक द्वारा हमारा नवीन संयोजन काट दिया गया । कार्यपालन यंत्री से सम्पर्क करने पर उनके द्वारा पूर्व उपभोक्ता के बकाया राशि की मांग की गई, हमारे द्वारा उपरोक्त राशि हमारे स्वयं के चेक क्रमांक 523943 एस.बी.आई. महू दिनांक 30.11.2018 रकम रू0 26573/– पत्र के साथ अण्डर प्रोटेस्ट जमा करा दी गई, जिसकी रसीद हमारे पत्र पर हस्ताक्षर कर के दी गई। लेकिन अनावेदक द्वारा विद्युत संयोजन नहीं जोड़ने पर पुनः सहायक यंत्री से सम्पर्क किया, सहायक यंत्री द्वारा हमसे उपरोक्त रसीद जो कि अनावेदक द्वारा हस्ताक्षर कर दी गयी थी, यह कहकर मांगी गयी कि लाईनमेन को रसीद दे देंगे, वह संयोजन जोड़ देवेगा,

एवं उपरोक्त रसीद आपको दे देवेगा। तब हमारे द्वारा उपरोक्त रसीद की मोबाईल से फोटो लेकर सहायक यंत्री महोदय को दे दी गई । लाईन मेन के द्वारा विद्युत संयोजन जोड़ दिया गया लेकिन रसीद नहीं देने पर हमारे द्वारा सहायक यंत्री से बात करने पर रसीद नहीं देते हुए आना कानी करने लगे, तब हमारे द्वारा सहायक यंत्री को अन्य पत्र लिखकर उनके वाहटसअप न0 पर दिनांक 1.12.2018 को 12.29 मिनिट पर भेजा गया था, जो उनके द्वारा देख भी लिया गया ।

माननीय विद्युत शिकायत निवारण फोरम में जब प्रकरण दर्ज होने के बाद विभिन्न दिनांकों को सुनवाई हुई तब हमारे द्वारा उपरोक्त विद्युत प्रदाय संहिता के नियम के साथ साथ दोनों पत्र भी माननीय फोरम के समक्ष रखे गए ।

अनावेदक के द्वारा जवाब दिया गया तब माननीय फोरम के द्वारा अनावेदक को कहा गया कि जिस प्रकार आवेदक के द्वारा नियम की कॉपी लगाकर अपना पक्ष रखा, उसी प्रकार आप भी अपना तर्क रखे ।

महोदय माननीय फोरम के द्वारा जब आदेश दिया गया उस आदेश में हमारे द्वारा प्रस्तुत तर्क एवं नियत विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 4.12 (iii) का उल्लेख ही नहीं करते हुए हमारे विरूद्ध आदेश दिया गया । माननीय फोरम आदेश से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत है ।

03. उक्त अपीलीय आवेदन इस कार्यालय में दिनांक 01.04.2019 को प्राप्त होकर दिनांक 04.04.2019 को प्रकरण क्र0 एल00–05/2019 पर दर्ज किया गया । विगत् जून 18 से विद्युत लोकपाल का पद रिक्त रहने के बाद दिनांक 02.04.2019 को नए विद्युत लोकपाल द्वारा पद ग्रहण किया गया । विद्युत लोकपाल का पद रिक्त रहने की अवधि में काफी अधिक संख्या में अपीलीय प्रकरण लंबित हो जाने के कारण प्रश्नाधीन प्रकरण में पहली सुनवाई दिनांक 21.06.2019 को आयोजित की गई ।

04. दिनांक 21.06.2019 को आयोजित प्रारंभिक सुनवाई में आवेदक की ओर से श्री संजय अग्रवाल कथित आवेदक प्रतिनिधि उपस्थित हुए, किन्तु आवेदक द्वारा उनके पक्ष में जारी अधिकार पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण उन्हें सुनवाई में आवेदक प्रतिनिधि के रूप में

स्वीकार नहीं करते हुए कार्यवाही से बाहर रखा गया । अनावेदक की ओर से श्री प्रशांत सिंह, जूनियर इंजीनियर महू, (टाऊन) उपस्थित हुए । उनके द्वारा सुनवाई में कार्यपालन यंत्री (संचा./संधा.) महू द्वारा हस्ताक्षरित पत्र क्रमांक 1015 दिनांक 20.06.2019 से लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया । अपने प्रत्युत्तर में अनावेदक ने लिखित कथन किया है कि :–

(i) श्री रंजीत कुमार सिंह द्वारा माननीय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर के समक्ष दिनांक 24.11.18 को वाद क्र0 420718 के माध्यम से उपरोक्त देयक में नामांतरण कराने एवं पूर्व बकाया राशि निरस्त करने बाबद दायर किया गया, जिसकी प्रथम सुनवाई दिनांक 13.12.18 नियत थी । परन्तु सुनवाई के पूर्व ही श्री रंजीत कुमार सिंह अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में आए और उपरोक्त प्रकरण में अपना पक्ष रखते हुए विद्युत देयक में नाम परिवर्तन करने हेतु एवं पुरानी बकाया राशि निरस्त करने हेतु बात रखी गयी । तब अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा श्री रंजीत कुमार सिंह को बताया गया कि, चूंकि प्रकरण माननयी फोरम के समक्ष सुनवाई में है अतः माननीय फोरम द्वारा निर्णय आने के उपरांत ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी ।

(ii) इसके उपरांत श्री रंजीत कुमार सिंह द्वारा कहा गया कि मैं उक्त राशि में से कुछ किश्त जमा करा देता हूं एवं फोरम का निर्णय आने पर निर्णय अनुसार आप कार्यवाही कर देवें । इसके पश्चात् श्री रंजीत कुमार सिंह द्वारा चेक से किश्त की राशि रू0 26573/– जमा की गयी ।

(iii) यहां यह भी अवगत करने में आता है कि आवेदक द्वारा वितरण कंपनी कार्यालय में उपस्थित होकर बकाया राशि जमा करने की जिम्मेंदारी ली गई थी ।

(iv) प्रकरण में माननीय फोरम द्वारा दिनांक 29.01.19 को आदेश पारित करते हुए निर्णय दिया कि,

अ. परिवादी का परिवाद आंशिक स्वीकार किया जाता है ।

ब. अभिमत में उल्लेखानुसार विपक्ष ने परिवादी को स्थाई धरेलु कनेक्शन प्रदाय कर दिया है । परिवादी ने पूर्व के कनेक्शन की बकाया राशि की वसूली की जिम्मेंदारी ली है, जो कि उचित है ।

स. परिवादी द्वारा विपक्ष को भुगतान किया जाना चाहिए ।

(v) चूंकि पूर्व में उपभोक्ता (श्री रंजीत कुमार सिंह)/प्रतिनिधि (श्री संजय अग्रवाल) द्वारा माननीय फोरम के समक्ष दायर प्रकरण में निर्णय आ चुका है एवं आवेदक के द्वारा जो परिवाद माननीय विद्युत लोकपाल महोदय के समक्ष दायर किया गया है, वह केवल और केवल अनावश्यक दबाव बनाकर पूर्व में बकाया राशि, जो आवेदक द्वारा जमा कर दी गयी है, को निरस्त कराए जाने बाबत प्रतीत होती है । परिवाद में दी गयी जानकारी तथ्यात्मक ना होकर उपभोक्ता/प्रतिनिधि द्वारा विद्युत कंपनी के विरूद्ध कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करा उपभोक्ता द्वारा नियमानुसार जमा की गई विद्युत देयक की राशि विद्युत वितरण कंपनी से वापस लेने के उद्देश्य से उक्त प्रकरण में अपील की गई है ।

अतः महोदय से निवेदन है कि आवेदकर्ता की अपील को निरस्त करने का कष्ट करें।

आवेदक की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण में सुनवाई नहीं होने से अगली सुनवाई 05.07.2019 को नियत की गई ।

05. दिनांक 05.07.2019 को आयोजित सुनवाई में आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।

अनावेदक की ओर से श्री चेतन बांगर, कार्यालय सहायक, कार्यपालन यंत्री (संचा./संधा.) संभाग, महू उपस्थित ।

अनावेदक द्वारा सुनवाई के दौरान कार्यपालन यंत्री (संचा./संधा.) संभाग, मप्रपक्षेविविकंलि, महू का पत्र क्रमांक 1187 दिनांक 04.07.19 प्रस्तुत किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि :–

''आवेदनकर्ता श्री रणजीत कुमार सिंह द्वारा दिनांक 05.07.19 को सुनवाई हेतु उपस्थित होने में असमर्थ होने के संबंध में सूचना दी गई, जिसकी छायाप्रति संलग्न है । अतः आपसे निवेदन है कि प्रकरण में सुनवाई हेतु आगामी सुनवाई दिनांक देने का कष्ट करें ।''

आवेदक की अनुपस्थिति एवं अनावेदक के सुनवाई आगे बढ़ाने के निवेदन पर प्रश्नाधीन प्रकरण में आगामी सुनवाई दिनांक 23.07.2019 को नियत की गई ।

06. दिनांक 23.07.2019 को आयोजित सुनवाई में आवेदक की ओर से आवेदक प्रतिनिधि श्री संजय अग्रवाल वांछित अधिकार पत्र के साथ तथा अनावेदक की ओर से श्री मो0 ओवेश खान, सहायक यंत्री तथा श्री चेतन बांगर, कार्यालय सहायक, कार्यपालन यंत्री (संचा. /संधा.) संभाग, महू उपस्थित हुए ।

अनावेदक प्रतिनिधि ने कथन किया कि प्रश्नाधीन प्रकरण में पूर्व सुनवाई दिनांक 21.06.19 को पत्र क्रमांक 1015 दिनांक 20.06.2019 के द्वारा अपना लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर दिया है ।

आवेदक प्रतिनिधी ने आवेदक की ओर से लिखित जवाब दिनांक 05.07.2019 प्रस्तुत किया । आवेदक ने अपने जवाब में सूचित किया है कि उनके द्वारा दीवान हाऊसिंग फाईनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड से मकान खरीदा गया था जो कि वित्तीय संस्था है । आवेदक का कथन है कि यह वित्तीय संस्था म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 2.1(एए) में उल्लेखित वित्तीय संस्था की परिभाषा में आती है, अतः इसके द्वारा की गई नीलामी में खरीदी गई संपत्ति पर म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 4.12 के प्रावधानों के अनुसार आवेदक द्वारा पूर्ववर्ती उपभोक्त के विद्युत बिलों की बकाया राशि रू0 34560/– देय नहीं है । आवेदक प्रतिनिधि का निवेदन है कि इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी किए जावें । आवेदक प्रतिनिधि ने आवेदक के लिखित प्रतिवेदन के साथ दीवान हाऊसिंग फाईनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड के निगमन संबंधी संलग्न दस्तावेज के संबंध में आवेदक प्रतिनिधि का कथन है कि यह उनके द्वारा इन्टरनेट से डाउनलोड किया गया है । आवेदक प्रतिनिधि का इस आधार पर तर्क है कि पूर्ववर्ती उपभोक्ता के विद्युत बिलों की बकाया राशि रू0 34560/– का भुगतान आवेदक द्वारा किए जाने की अनावेदक कंपनी की मांग निरस्त की जाकर उनके द्वारा इस मद में अण्डर प्रोटेस्ट जमा की गई राशि रू0 26573/– का समायोजन आवेदक के विद्युत संयोजन के खाते में किए जाने का आदेश पारित किया जाए।

आवेदक के लिखित प्रतिवेदन की एक प्रति अनावेदक प्रतिनिधि को दी गई । इस पर अनावेदक प्रतिनिधि का कथन है कि म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 की कण्डिका 4.12(iii) के अन्तर्गत छूट की पात्रता संबंधी कोई प्रमाणिक दस्तावेज आवेदक द्वारा नहीं दिए गए हैं, अतः उनका वाद स्वीकार किए जाने योग्य नहीं होने से निरस्त किया जाए ।

आवेदक के उक्त कथन के परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा वित्तीय संस्था दीवान हाऊसिंग फाईनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड (DHFL) से संबंधित प्रस्तुत दस्तावेज का भी अवलोकन किया गया, जिसमें मात्र यह दर्शित है कि यह एक पब्लिक रिलेटेड कम्पनी है जो कि 11 अप्रैल 1984 को कम्पनी एक्ट 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत निगमित की गई थी ।

आवेदक प्रतिनिधि ने कथन किया कि उनके पास इसके अलावा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है और न ही वे इस संबंध में कोई अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करने की स्थिति में हैं । उनका कथन है कि उन्हें प्रकरण में अब कोई अन्य दस्तावेज अथवा जानकारी प्रस्तुत नहीं करना है न ही कुछ और कथन करना है ।

आवेदक के उक्त कथन को दृष्टिगत् रखते हुए प्रकरण में सुनवाई समाप्त कर प्रकरण आदेश हेतु सुरक्षित रखा गया ।

07. प्रकरण में आवेदक द्वारा प्रस्तुत लिखित अपीलीय अभ्यावेदन, उभयपक्षों द्वारा सुनवाई में किए गए कथन व प्रस्तुत जानकारी के आधार पर प्रकरण की विधि द्वारा स्थापित नियमों के अन्तर्गत विवेचना की गई ।

(i) आवेदक ने अपनी अपील में मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 4.12(iii) के प्रावधानों के आधार पर अपनी अपील प्रस्तुत की है । अतः इस कण्डिका तथा इसमें उल्लेखित 'वित्तीय संस्था' की व्याख्या के लिए कण्डिका 2.1(एए), जो निम्नानुसार उद्धृत है, का सावधानीपूर्वक एवं सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया :–

"4.12 (iii) यदि सम्पत्ति की कुर्की अथवा उसकी बिक्री राज्य अधिनियम/केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित की गई वित्तीय संस्थाओं द्वारा उनकी बकाया राशि की वसूली बाबत् की गई हो तो ऐसी दशा में क्रेता को तत्कालीन उपभोक्ता के विद्युत प्रदाय की बकाया राशि का भुगतान नहीं करना होगा।"

"2.1(एए) वित्तीय संस्था (Financial Institution) का तात्पर्य निम्न से है :

(i) ''बैंकिंग कम्पनी (Banking Company)'' का तात्पर्य बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (क्रमांक 10, वर्ष 1949) की धारा 5 के खण्ड (सी) के अन्तर्गत इस हेतु निर्धारित अभिप्राय से है;

(ii) कोई सार्वजनिक वित्तीय संस्था जो कम्पनी अधिनियम 1956 (क्रमांक 1, वर्ष 1956) की धारा 4ए के अभिप्राय के अन्तर्गत आती हो;

(iii) बैंको तथा वित्तीय संस्थाओं को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (क्रमांक 51, वर्ष 1993) की धारा 2 के खण्ड (एच) के उपखण्ड (ii) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई संस्था;

(iv) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (प्रास्थिति, उन्मुक्ति तथा विशेषाधिकार) अधिनियम 1958 (क्रमांक 42, वर्ष 1958) के अन्तर्गत स्थापित अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम; तथा

(v) अन्य कोई संस्था या गैर–बैंककारी वित्तीय कम्पनी जैसा कि इसे भारतीय रिजर्व बैंक, अधिनियम, 1934 (क्रमांक 2, वर्ष 1934) की धारा 45 –I के खण्ड (एफ) में परिभाषित किया गया है, जैसा कि इसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से इस अधिनियम के प्रयोजन से निर्दिष्ट किया जाए ।

08. उक्त कण्डिकाओं के आधार पर तर्क प्रस्तुत करते हुए आवेदक द्वारा वित्तीय संस्था दीवान हाऊसिंग फाईनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड (DHFL), मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की 2.1(एए) में की गई वित्तीय संस्था की याचिका की परिधि में आने संबंधी एक पृष्ठीय दस्तावेज, जो उनके द्वारा ऑनलाईन प्राप्त किया जाना सूचित है, के अवलोकन में मात्र यह दस्तावेज वित्तीय संस्था (DHFL) की नीलामी से क्रय की गई भवन संपत्ति पर पूर्व भवन स्वामी के बकाया बिजली की राशि के भुगतान से छूट की पात्रता के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं पाया जाता है । इससे निष्कर्ष प्राप्त होता है कि आवेदक इस संबंध में पर्याप्त प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है । इस निष्कर्ष अनुसार आवेदक की अपील अस्वीकार किया जाना वैधानिक रूप से स्थापित नियमों के अन्तर्गत न्यायोचित होगा ।

09. आवेदक की अपील निरस्त की जाती है । इसके साथ ही प्रकरण निर्णीत होकर समाप्त किया जाता है । उभय पक्ष प्रकरण में हुए अपने–अपने व्यय को स्वयं वहन करेंगे । आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निःशुल्क प्रति के साथ पक्षकारों को अलग से सूचित किया जाए ।

विद्युत लोकपाल